फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

सुरजमल वगै० बनाम नाथू वगै०

संख्या 375/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	2 लगायत 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/2/25 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिए विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दा० अन्तर्गत धारा 136 राज० भू राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज ओपन कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील के नकल बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
375/2024	06.11.2024	20.02.2025

1. पूरणमल पुत्र कल्याण सहाय
2. रघूनाथ पुत्र कल्याण सहाय

समस्त जाति कोली निवासी 766, कोलियों की ढाणी, ग्राम मोहनपुरा तहसील लवाण जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र कल्याण सहाय जाति कोली निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।
2. बिमला पुत्री कल्याण सहाय पत्नि शम्भू जाति कोली निवासी ताजखा का बास तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
3. रामपति पुत्री कल्याण सहाय पत्नि घनश्याम जाति कोली निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील दौसा।
4. मंजू पुत्री कल्याण सहाय पत्नि कैलाश जाति कोली निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. मीरा पुत्री कल्याण सहाय पत्नि अनिल जाति कोली निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. तुलसा देवी पत्नि कल्याण सहाय जाति कोली निवासी 766, कोलियो की ढाणी, ग्राम मोहनपुरा, तहसील लवाण जिला दौसा, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री सत्यपाल गुर्जर : – वकील प्रार्थीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम</u>

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 33 रकबा 3.6700है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा ग्राम हुरेला पटवार हल्का धर्मपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 6 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/4 भाग को प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के पिता कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण ने खातेदार छीतर पुत्र डालू जाति बलाई निवासी ग्राम हुरेला तहसील आंधी जिला जयपुर से दिनांक 03.06.2011 को क्रय किया जिसका नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 05.07.2011 को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के पिता कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हिस्सा 1/4 भाग सा देह कोलियों की ढाणी ग्राम लवाण तहसील जिला दौसा के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ। तत्पश्चात से उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पिता कल्याण सहाय काबिज रहा व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 6 काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता ने उक्त भूमि छीतर पुत्र डालू जाति बलाई से क्रय की थी तथा उक्त विक्रेता छीतर पुत्र डालू ने उक्त भूमि मूल

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

खातेदार नारायणी बैवा लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 भाग कौम बलाई से जरिये बैचान नामा कय की थी व उक्त बैचान नामा के आधार पर नामान्तकरण 89 द्वारा दिनांक 10.11.1997 को छीतर पुत्र डालू कौम बलाई हिस्सा 1/4 के नामान्तकरण तस्दीक हुआ व उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने के बाद छीतर पुत्र डालू द्वारा उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता को बैचान की गई जिसके बाद प्रार्थीगण के पिता का नाम जमाबन्दी संवत 2058 से 61 मे दर्ज रहा है तत्पश्चात दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 33 बनाते समय उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हिस्सा 1/4 के स्थान पर नारायणी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार अंकित कर दिया जो कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 33 रकबा 3.6700है0 में नारायणी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण सं0 244 दिनांक 05.07.2011 व जमाबन्दी संवत 2058 से 61 के अनुसार कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हिस्सा 1/4 सा0देह कोलियों की ढाणी ग्राम लवाण तहसील जिला दौसा राजस्थान अंकित किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम विरासत का नामान्तकरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं0 1 ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा में 1/4 भाग को प्रार्थीगण व उत्तरदाता के पिता कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण ने खातेदार छीतर पुत्र डालू जाति बलाई से दिनांक 3.6.11 को कय किया जिसका नामा0सं0 244 दिनाक 05.07.2011 को खोला गया तथा दौराने सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त कय शुदा भूमि को नारायणी पत्नि लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 गलत अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जावें। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम विरासत खोलने के आदेश दिये जावें। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतः शेष अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी सं0 7 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आर0टी0/25 /02 दिनांक 03.01.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम हुरेला के हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 3.67है0 के साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 3.67है0 है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमा0 संवत 2074- 2077 जमाबन्दी संवत 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के अनुसार ग्राम हुरेला के खसरा नम्बर 33 किता 1 रकबा 3.67है0 भूमि खातेदार नारायणी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 जाति बलाई, मनभर देवी पत्नि गैन्दा हि0 1403/24568 जाति बलाई, मूलचन्द पुत्र गंगाधर हि0 2591533/35672736 जाति कोली, महेन्द्र कुमार पुत्र चेतराम हि0 1/8 जाति बैरवा, रामेश्वर पुत्र गोपी हि0 1/96 जाति बलाई, लालचन्द पुत्र लक्ष्मण हि0 9255475/26754552 जाति रैगर एवं लोहडीराम पुत्र नहनूराम हि0 5/36 जाति बलाई साकिन जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। नामा0 सं0 244 से ग्राम हुरेला के खाता सं0 38 रकबा 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार छीतर पुत्र डालू हि01/4 कौम बलाई सा0देह खातेदार बाकी बदस्तुर जमा0 की बजाय कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हि0 1/4 सा0कोलीयो की ढाणी ग्राम लवाण तहसील जिला दौसा बाकी बदस्तुर जमा0 दर्ज हुआ था। नामा0 सं0 89 से ग्राम हुरेला के खाता 39 के खसरा नम्बर 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा मे खातेदार नारायण बेवा लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 कौम बलाई बाकी हि0 बदस्तुर की बजाय छीतर पुत्र डालू कौम बलाई हि0 1/4 बाकी हिस्सा बदस्तुर जमा0 दर्ज हुआ था। एवं नामा0 सं0 244 से ग्राम हुरेला के खाता सं0 38 के खसरा नम्बर 27 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार छीतर पुत्र डालू हि0 1/4 कौम बलाई सा0देह खातेदार बाकी बदस्तुर जमा0 की बजाय कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हि0 1/4 सा0 कोलीयो की ढाणी ग्राम लवाण तह0 एवं जिला दौसा बाकी बदस्तुर जमा0 दर्ज हुआ था। मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमा0 संवत 2074-77 जमा0 2078 (2022) से स्थायी के अनुसार ग्राम हुरेला के खसरा नम्बर 33 कित्ता 1 रकबा 3.67है0 भूमि खातेदार नारायणी पत्नि लक्ष्मीनारायण बलाई, मनभर देवी पत्नि गैन्दा बलाई, मूलचन्द पुत्र गंगाधर कोली, महेन्द्र कुमार पुत्र चेतराम बैरवा, रामेश्वर पुत्र गोपी बलाई, लालचन्द पुत्र लक्ष्मण रैगर एवं लोहडीराम पुत्र नहनूराम बलाई हि0 एवं साकिन मुता0 जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड है।

वकील प्रार्थीगणं व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हुरेला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 33 रकबा 3.6700है0 में नारायणी पत्नि लक्ष्मीनारायण हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह खातेदार के स्थान पर पूर्व राजस्व रिकार्ड नामा0 सं0 244 दिनांक 05.07.2011 व जमाबन्दी संवत 2058 से 61 के अनुसार कल्याण सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण कोली हिस्सा 1/4 सा0देह कोलियों की ढाणी ग्राम लवाण तहसील जिला दौसा राजस्थान अंकित किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। विरासत से संबंधी कार्यवाही पक्षकार नियमानुसार करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़